

466/6

रजिस्ट्री सं. डी.एन.- 33004/99

REGD. No. D. L.-33004/99


सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13012026-269317
CG-DL-E-13012026-269317

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 40]

नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 13, 2026/पौष 23, 1947

No. 40]

NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 13, 2026/PAUSHA 23, 1947

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 जनवरी, 2026

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (उच्च शिक्षा संस्थानों में समता के संवर्धन हेतु)

विनियम, 2026

(यूआईएन:1/2026)

फा. सं. 1-7/2011(एससीटी).—प्रस्तावना :

यद्यपि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) विश्वविद्यालयों में उच्च शिक्षा के मानकों का समन्वय एवं निर्धारण करने के लिए अधिदिष्ट एवं सशक्त किया गया है;

और यद्यपि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 'पूर्ण समता एवं समावेशन' को सभी शैक्षिक निर्णयों की आधारशिला के रूप में मान्यता देती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी छात्र शिक्षा प्रणाली में उन्नति कर सकें;

और यद्यपि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उच्च शिक्षा संस्थानों में धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म-स्थान के आधार पर या दिव्यांगजनों के विरुद्ध भेदभाव के उन्मूलन के प्रति प्रतिबद्ध है;

267 GI/2026

(1)

और यद्यपि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का उद्देश्य उच्च शिक्षा संस्थानों में समता को संवर्धन देना है।

अब, इसलिए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (उच्च शिक्षा संस्थानों में समता के संवर्धन हेतु) विनियम, 2012 के प्रतिस्थापन द्वारा तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 12 के खंड (ज) के साथ पठित धारा 26 की उप-धारा (1) के खंड (छ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात: —

1. संक्षिप्त शीर्षक, प्रयोज्यता और प्रारंभ:

- क. इन विनियमों का नाम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (उच्च शिक्षा संस्थानों में समता के संवर्धन हेतु) विनियम, 2026 (यूआईएन:1/2026) होगा।
- ख. ये भारत के सभी उच्च शिक्षा संस्थानों पर लागू होंगे।
- ग. ये अधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगे।

2. उद्देश्य:

धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म-स्थान या दिव्यांगता के आधार पर विशेष रूप से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, दिव्यांगजनों अथवा इनमें से किसी के भी सदस्यों के विरुद्ध भेदभाव का उन्मूलन करना तथा उच्च शिक्षा संस्थानों के हितधारकों के मध्य पूर्ण समता एवं समावेशन को संवर्धन देना।

3. परिभाषाएँ:

(1) इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो-

- क. "अधिनियम" का अर्थ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का 3) है;
- ख. "पीडित व्यक्ति" का अर्थ ऐसे व्यक्ति से है जिसके पास इन विनियमों के अंतर्गत शिकायतों से संबंधित या जुड़े मामलों में कोई शिकायत है;
- ग. "जाति-आधारित भेदभाव" का अर्थ अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के सदस्यों के विरुद्ध केवल जाति या जनजाति के आधार पर भेदभाव है;
- घ. "आयोग" का अर्थ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 के तहत स्थापित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है;
- ङ. "भेदभाव" का अर्थ धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म-स्थान, दिव्यांगता या इनमें से किसी एक के आधार पर किसी भी हितधारक के विरुद्ध कोई भी अनुचित, भेदभावपूर्ण या पक्षपातपूर्ण व्यवहार या ऐसा कोई कार्य, चाहे वह स्पष्ट हो या अंतर्निहित हो। इसमें ऐसा कोई भी विभेद, बहिष्करण, प्रतिबंध या पक्षपात भी शामिल है जिसका उद्देश्य या प्रभाव शिक्षा में समान व्यवहार को निष्प्रभावी या अक्षम करना है और विशेष रूप से, किसी भी हितधारक या हितधारकों के समूह पर ऐसी शर्तें लगाना है जो मानवीय गरिमा के प्रतिकूल हों।
- च. "समता" से अर्थ सभी वैध अधिकारों के प्रयोग के संबंध में पात्रता एवं अवसर के मामले में सभी हितधारकों के लिए एक समान अवसर का क्षेत्र है।
- छ. "समता समिति" का अर्थ उच्च शिक्षा संस्थान के प्रमुख द्वारा गठित समिति है।
- ज. "समता हेल्पलाइन" का अर्थ उच्च शिक्षा संस्थान द्वारा स्थापित एवं संचालित एक हेल्पलाइन है;

- झ. "समान अवसर केंद्र" का अर्थ उच्च शिक्षा संस्थान द्वारा इन विनियमों के तहत स्थापित केंद्र है;
- ञ. "संकाय सदस्य" का अर्थ उच्च शिक्षा संस्थान के लिए कार्य करने वाले शिक्षक हैं;
- ट. "लिंग" का अर्थ पुरुष, महिला और तृतीय लिंग सम्मिलित हैं;
- ठ. "शिकायत" का अर्थ इन विनियमों के अंतर्गत भेदभाव के संबंध में एक पीड़ित व्यक्ति द्वारा की गई शिकायतें सम्मिलित हैं;
- ड. "संस्थान का प्रमुख" का अर्थ विश्वविद्यालय के मामले में कुलपति या समविश्वविद्यालय (डीम्ड टू वी यूनिवर्सिटी), प्राचार्य या निदेशक अथवा संस्थान या महाविद्यालय के कार्यकारी प्रमुख के लिए प्रयुक्त ऐसा अन्य पदनाम है;
- ढ. "उच्च शिक्षा संस्थान" का अर्थ धारा 2 के खंड (च) के अर्थ के अंतर्गत एक विश्वविद्यालय, धारा 12क की उप-धारा (1) के खंड (ख) के अर्थ के अंतर्गत एक महाविद्यालय, तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत घोषित समविश्वविद्यालय (डीम्ड टू वी यूनिवर्सिटी संस्थान) है;
- ण. "लोकपाल" का अर्थ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (छात्रों की शिकायतों का निवारण) विनियम, 2023 के तहत, समय-समय पर संशोधित, नियुक्त लोकपाल है;
- त. "कर्मचारी" का अर्थ संकाय सदस्यों के अतिरिक्त, वे व्यक्ति हैं जो उच्च शिक्षा संस्थान के लिए कार्यरत हैं;
- थ. "हितधारक" का अर्थ छात्र, संकाय सदस्यों, कर्मचारी, और प्रबंध समिति के सदस्य, जिसमें उच्च शिक्षा संस्थान का प्रमुख भी शामिल है;
- द. "छात्र" का अर्थ किसी भी उच्च शिक्षा संस्थान में किसी भी माध्यम से, अर्थात् औपचारिक, मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा (ओडीएल), या ऑनलाइन के माध्यम से नामांकित, या नामांकन हेतु प्रवेश चाहने वाला व्यक्ति है;
- ध. "विश्वविद्यालय" का अर्थ केंद्रीय अधिनियम, प्रांतीय अधिनियम या राज्य अधिनियम द्वारा या उसके तहत स्थापित या समामेलित विश्वविद्यालय है और इसमें ऐसा कोई भी संस्थान शामिल है जिसे संबंधित विश्वविद्यालय के परामर्श से, आयोग द्वारा अधिनियम के तहत इस निमित्त बनाए गए विनियमों के अनुसार मान्यता प्रदान की गई हो;
- (2) इन विनियमों में प्रयुक्त किंतु यहां परिभाषित न की गई वे शब्द और पद जो अधिनियम या सामान्य उपबंध अधिनियम, 1897 में परिभाषित हैं, उनके वे अर्थ होंगे जो क्रमशः उस अधिनियम या सामान्य उपबंध अधिनियम, 1897 में, जैसी भी स्थिति हो, उनके लिए निर्दिष्ट किए गए हैं।

4. समता के संवर्धन का कर्तव्य:

(1) प्रत्येक उच्च शिक्षा संस्थान का -

- क. भेदभाव के उन्मूलन का कर्तव्य होगा;
- ख. हितधारकों के बीच समता के संवर्धन का कर्तव्य होगा;
- ग. हितधारकों के विरुद्ध भेदभाव को उन्मूलन करने तथा उनकी जाति, सम्प्रदाय, धर्म, भाषा, नृजातीयता, लिंग या दिव्यांगता के पूर्वाग्रह के बिना उनके हितों की रक्षा के लिए उचित संरक्षात्मक एवं निवारक उपाय करेगा।
- (2) कोई भी उच्च शिक्षा संस्थान भेदभाव के किसी भी रूप की अनुमति नहीं देगा या उसे नजरअंदाज नहीं करेगा।
- (3) यह सुनिश्चित करना संस्थान के प्रमुख का कर्तव्य होगा कि इन विनियमों का विधिवत पालन हो, और इस उद्देश्य के लिए उसके पास सभी आवश्यक शक्तियाँ होंगी।

5. समान अवसर केंद्र:

1. प्रत्येक उच्च शिक्षा संस्थान एक समान अवसर केंद्र स्थापित करेगा, जिसका कार्य वंचित समूहों के लिए नीतियों एवं कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन पर नजर रखना; शैक्षणिक, वित्तीय, सामाजिक एवं अन्य मामलों में मार्गदर्शन एवं परामर्श प्रदान करना; तथा परिसर में सामाजिक एवं सांस्कृतिक विविधता को प्रोत्साहित करना होगा।
वर्तते कि यदि किसी महाविद्यालय में समान अवसर केंद्र स्थापित करने के लिए कम से कम पाँच संकाय सदस्य नहीं हैं, तो महाविद्यालय के समान अवसर केंद्र के कार्य उस विश्वविद्यालय के समान अवसर केंद्र द्वारा किए जाएंगे, जिससे महाविद्यालय संबद्ध है।
2. केंद्र इन विनियमों के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु नागरिक समाज, स्थानीय मीडिया, पुलिस, जिला प्रशासन, इस क्षेत्र में कार्यरत गैर-सरकारी संगठनों, शिक्षक सदस्यों, कर्मचारियों एवं अभिभावकों के साथ समन्वय स्थापित करेगा।
3. समान अवसर केंद्र इन विनियमों के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु सामान्य रूप से तथा योग्य मामलों में कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए संबंधित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के साथ समन्वय करेगा।
4. उच्च शिक्षा संस्थान की कार्यकारी परिषद या शासी निकाय या प्रबंध समिति, जैसी भी स्थिति हो, केंद्र के समन्वयक के रूप में एक स्थायी प्रोफेसर या एक वरिष्ठ संकाय सदस्य का नाम निर्देशन करेगी जिसकी वंचित सामाजिक समूहों के कल्याण में स्वाभाविक रुचि हो।
5. समान अवसर केंद्र में एक समता समिति होगी, जिसका गठन संस्थान प्रमुख द्वारा केंद्र के कामकाज के प्रबंधन एवं भेदभाव संबंधी शिकायतों की जाँच के लिए किया जाएगा।
6. समता समिति का गठन इस प्रकार होगा:
 - i. संस्थान प्रमुख पदेन अध्यक्ष होंगे।
 - ii. उच्च शिक्षा संस्थान के तीन प्रोफेसर/वरिष्ठ संकाय सदस्य, सदस्य के रूप में।
 - iii. उच्च शिक्षा संस्थान का एक कर्मचारी (शिक्षक के अतिरिक्त), सदस्य के रूप में।
 - iv. व्यावसायिक अनुभव रखने वाले नागरिक समाज के दो प्रतिनिधि, सदस्य के रूप में।
 - v. दो छात्र प्रतिनिधि, जिनका नामांकन शैक्षणिक योग्यता/खेलों में उत्कृष्टता/सह-पाठ्यक्रम गतिविधियों में प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा, विशेष आमंत्रित के रूप में।
 - vi. समान अवसर केंद्र का समन्वयक पदेन सदस्य-सचिव के रूप में कार्य करेगा।
7. समिति में अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांगजन, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं का प्रतिनिधित्व होना चाहिए।
8. सदस्यों का कार्यकाल दो वर्ष का होगा, और विशेष आमंत्रितों का कार्यकाल एक वर्ष का होगा।
9. समिति की वर्ष में कम से कम दो बार बैठक होगी, और बैठक के लिए गणपूर्ति (कोरम), जिसमें अध्यक्ष शामिल होंगे किंतु विशेष आमंत्रितों को छोड़कर, चार की होगी। समिति अपनी अर्ध-वार्षिक बैठकों में, पिछले 6 महीनों में प्राप्त मामलों पर की गई कार्रवाई की समीक्षा करेगी, जिसमें उसके द्वारा अन्य समितियों को भेजे गए मामले भी शामिल होंगे, जो यूजीसी के किसी अन्य विनियमों या वर्तमान में लागू किसी अन्य कानून के तहत गठित की गई हों।
10. समान अवसर केंद्र के निम्नलिखित कार्य होंगे:

- क. उच्च शिक्षा संस्थान में समुदाय को समग्र रूप से समता एवं समान अवसर सुनिश्चित करना और सामाजिक समावेशन लाना।
- ख. छात्रों, शिक्षण एवं गैर-शिक्षण कर्मचारियों के बीच समता को संवर्धन देना और साथ ही भेदभाव की धारणा का उन्मूलन करना।
- ग. विभिन्न सामाजिक पृष्ठभूमि से आने वाले छात्रों के बीच शैक्षणिक संवाद तथा स्वस्थ अंतर्व्यक्तिक संबंधों के विकास के लिए एक सामाजिक रूप से अनुकूल वातावरण बनाना।
- घ. हितधारकों को सामाजिक समावेशन के प्रति संवेदनशील बनाने के प्रयास करना।
- ङ. समाज के वंचित वर्ग से संबंधित व्यक्तियों या छात्रों के समूह की सहायता करना।
- च. किसी भी भेदभाव की घटना का प्रतिवेदन करने वाले पीड़ित व्यक्ति को प्रतिशोध से वचाना।
- छ. सामाजिक रूप से वंचित वर्ग के कल्याण हेतु योजनाओं एवं कार्यक्रमों से संबंधित सूचना, साथ ही समय-समय पर जारी सरकार तथा यूजीसी या अन्य संबंधित एजेंसियों/संगठनों के अधिसूचनाएं/ज्ञापन, कार्यालय आदेश का प्रसार करना।
- ज. उन कार्यों की एक उदाहरणात्मक सूची तैयार एवं प्रसारित करना जिन्हें भेदभाव माना जाएगा।
- झ. समाज के वंचित समूहों से संबंधित छात्रों के प्रवेश के लिए समावेशी प्रक्रियाएं तैयार करना।
- ञ. वंचित समूहों से संबंधित छात्रों को सहायता प्रदान करने के लिए शैक्षणिक एवं वित्तीय संसाधन जुटाने हेतु सरकार एवं अन्य एजेंसियों/संगठनों के साथ समन्वय स्थापित करना।
- ट. भेदभाव की किसी भी घटना का प्रतिवेदन करने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल बनाए रखना।
- ठ. उच्च शिक्षा संस्थान में समता को संवर्धन देने के लिए आवश्यक समझे जाने वाले अन्य कार्य करना।
11. प्रत्येक उच्च शिक्षा संस्थान निगरानी रखने तथा परिसर में किसी भी भेदभाव को रोकने के लिए आवश्यक समझे गए प्रतिनिधित्व के साथ एक छोटी इकाई भी गठित करेगा, जिसे 'समता समूह (इक्विटी स्कॉड)' कहा जाएगा। उच्च शिक्षा संस्थान आवश्यक संख्या में समता समूह (इक्विटी स्कॉड) गठित कर सकता है, और ऐसे समूह (स्कॉड) गतिशील रहेंगे तथा संवेदनशील स्थानों पर नियमित रूप से निरीक्षण करेंगे। समता समूह (इक्विटी स्कॉड) अपना प्रतिवेदन समान अवसर केंद्र के समन्वयक को प्रस्तुत करेंगे।
12. प्रत्येक उच्च शिक्षा संस्थान अपनी प्रत्येक इकाई, विभाग, संकाय, स्कूल, छात्रावास, पुस्तकालय या सुविधा में कम से कम एक हितधारक को 'समता दूत (इक्विटी एम्बेसडर)' के रूप में कार्य करने हेतु नामित करेगा। समता दूत (इक्विटी एम्बेसडर) के रूप में नामित हितधारक परिसर में समता के प्रतीक के रूप में कार्य करेंगे और समान अवसर केंद्र के समन्वयक के संपर्क में रहेंगे। समता दूत (इक्विटी एम्बेसडर) अपनी इकाई में समान अवसर केंद्र द्वारा नियोजित कार्यक्रम या गतिविधियों के क्रियान्वयन के लिए एक नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करेगा और किसी भी समता उल्लंघन की सूचना बिना देरी के देगा।
13. समान अवसर केंद्र प्रत्येक वर्ष जनवरी और जुलाई के अंत तक अपनी गतिविधियों की एक अर्ध-वार्षिक प्रतिवेदन प्रकाशित करेगा, और यह प्रतिवेदन उच्च शिक्षा संस्थान की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाएगी। प्रतिवेदन में छात्रों एवं कर्मचारियों की जनसांख्यिकीय संरचना, पिछले शैक्षणिक वर्ष के छात्रों की ड्रॉपआउट दर, इन विनियमों के तहत प्राप्त शिकायतें/अभियोग, और उनकी वर्तमान स्थिति शामिल होगी।

6. समता हेल्पलाइन:

1. प्रत्येक उच्च शिक्षा संस्थान एक 'समता हेल्पलाइन' स्थापित एवं संचालित करेगा जो चौबीसों घंटे कार्यरत रहेगी। वशर्ते कि यदि किसी महाविद्यालय की समता हेल्पलाइन किसी कारणवश कार्यशील नहीं है, तो उस कॉलेज के हितधारकों के लिए संबद्ध विश्वविद्यालय की समता हेल्पलाइन सुलभ होगी।
2. समता हेल्पलाइन किसी भी ऐसे हितधारक के लिए सुलभ होगी जो किसी भेदभाव से संबंधित घटना के कारण संकट में हो।
3. यदि सूचना देने वाला व्यक्ति अनुरोध करता है, तो भेदभाव की सूचना देने वाले हितधारक की पहचान गोपनीय रखी जायेगी।

7. समता के संवर्धन के उपाय:

उच्च शिक्षा संस्थान समता के संवर्धन हेतु निम्नलिखित उपाय करेंगे:

- क. उच्च शिक्षा संस्थान यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रवेश या प्रवेश नवीनीकरण के समय सभी छात्र तथा सभी संकाय सदस्य एवं कर्मचारी एक घोषणा-पत्र प्रस्तुत करें कि वे समता को संवर्धन देंगे और भेदभाव के किसी भी रूप में संलग्न नहीं होंगे।
- ख. इन विनियमों एवं समता हेल्पलाइन की जानकारी उच्च शिक्षा संस्थान की वेबसाइट(ओं) पर प्रमुखता से उपलब्ध कराई जाएगी।
- ग. प्रत्येक शैक्षणिक सत्र के प्रारंभ से पूर्व, संस्थान प्रमुख विभिन्न कार्यकर्ताओं जैसे छात्रावास वार्डन, छात्र, अभिभावक/संरक्षक, संकाय, कर्मचारी, जिला प्रशासन, पुलिस की एक बैठक आयोजित करेंगे और उसमें संबोधित करेंगे, जो अभिविन्यास कार्यक्रम का हिस्सा होगी, ताकि हितधारकों के बीच समता बढ़ाने के उपायों पर चर्चा की जा सके और इन विनियमों के बारे में जागरूकता पैदा की जा सके। बैठक या एक वीडियो उच्च शिक्षा संस्थान की वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जाएगा।
- घ. उच्च शिक्षा संस्थान यह सुनिश्चित करेंगे कि छात्रावासों, कक्षाओं, मेंटरशिप समूहों या किसी अन्य शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए कोई भी चयन, अलगाव या आवंटन पारदर्शी, निष्पक्ष और गैर-भेदभावपूर्ण हो।
- ङ. समता को संवर्धन देने के लिए, उच्च शिक्षा संस्थान परिसर में उपयुक्त स्थानों पर पोस्टर प्रमुखता से प्रदर्शित करेंगे और कार्यशालाएं, कार्यक्रम आदि आयोजित करेंगे।
- च. उच्च शिक्षा संस्थान छात्रों, संकाय सदस्यों और कर्मचारियों के परामर्श हेतु व्यावसायिक परामर्शदाताओं की सेवाएं लेंगे या सहायता प्राप्त करेंगे।
- छ. उच्च शिक्षा संस्थान समता को संवर्धन देने के लिए यूजीसी द्वारा समय-समय पर जारी विभिन्न दिशा-निर्देशों, जैसे उच्च शिक्षा संस्थानों में सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित समूहों (एसईडीजी) के लिए समान अवसर प्रदान करने के दिशा-निर्देश, आदि को लागू करेंगे।
- ज. किसी भी भेदभाव की घटना के पीड़ित या गवाह, चाहे वह छात्र, संकाय सदस्य या कर्मचारी ही क्यों न हो, ऐसी घटनाओं का प्रतिवेदन करने के लिए प्रोत्साहित किए जाएंगे, और सूचनाकर्ता द्वारा अनुरोध किए जाने पर उनकी पहचान संरक्षित रखी जाएगी, तथा उन्हें प्रतिशोध या उत्पीड़न के विरुद्ध आवश्यक सुरक्षा प्रदान की जाएगी।

8. भेदभाव की घटना के मामले में प्रक्रिया:

- क. कोई भी पीड़ित व्यक्ति किसी भी भेदभाव की घटना की सूचना ऑनलाइन पोर्टल पर, लिखित रूप में, या समान अवसर केंद्र के समन्वयक को ईमेल भेजकर दे सकता है। पीड़ित व्यक्ति की पहचान अनुरोध किए जाने पर गोपनीय रखी जाएगी।

- ख. पीडित व्यक्ति के पास घटना की सूचना समता हेल्पलाइन पर देने का विकल्प भी होगा। हेल्पलाइन पर प्राप्त सूचना, यदि प्रथम दृष्टया दंड विधियों के अंतर्गत कोई मामला बनता है, तो संबंधित पुलिस प्राधिकारियों को अग्रेपित कर दी जाएगी।
- ग. समता समिति, ऐसी सूचना प्राप्त होने पर, उचित कार्रवाई करने के लिए 24 घंटे के भीतर बैठक करेगी। समता समिति मामले को यूजीसी के किसी अन्य विनियमों या वर्तमान में लागू किसी अन्य कानून के तहत गठित किसी समिति को भी निर्दिष्ट कर सकती है, यदि उसकी राय है कि मामले को उस समिति द्वारा बेहतर ढंग से निपटाया जा सकता है; या विनियमों या कानून के प्रावधानों के अनुसार उस समिति द्वारा उस पर कार्रवाई की जानी आवश्यक है; या वह समिति पहले से ही मामले की जांच में है।
- घ. समता समिति तत्पश्चात् 15 कार्य दिवसों के भीतर अपना प्रतिवेदन संस्थान के प्रमुख को प्रस्तुत करेगी। समता समिति का प्रतिवेदन की एक प्रति पीडित व्यक्ति को भी भेजी जाएगी।
- ङ. समता समिति से प्रतिवेदन प्राप्त होने पर, संस्थान का प्रमुख उच्च शिक्षा संस्थान के नियमों के अनुसार 7 कार्य दिवसों के भीतर आगे की कार्रवाई शुरू करेगा। हालांकि, यदि दंड विधि के तहत कोई मामला बनता है, तो पुलिस अधिकारियों को तत्काल सूचित किया जाएगा।
- च. यदि संस्थान के प्रमुख के विरुद्ध कोई शिकायत की जाती है, तो समता समिति की बैठक की अध्यक्षता समान अवसर केंद्र के समन्वयक द्वारा की जाएगी, और समता समिति का प्रतिवेदन संस्थान के प्रमुख के अगले उच्चतर प्राधिकारी को अग्रेपित की जाएगी।

9. अपील:

- (1) समता समिति का प्रतिवेदन से असंतुष्ट व्यक्ति उस प्रतिवेदन को प्राप्ति की तिथि से 30 दिनों के भीतर लोकपाल के समक्ष अपील कर सकता है। लोकपाल किसी अपील की सुनवाई सुविधाजनक बनाने के लिए एक *एमिकस क्यूरी* (न्याय-मित्र) नियुक्त कर सकता है।
- (2) लोकपाल द्वारा नियुक्त *एमिकस क्यूरी* (न्याय-मित्र) को उच्च शिक्षा संस्थान द्वारा उचित शुल्क का भुगतान किया जाएगा।
- (3) लोकपाल विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (छात्रों की शिकायतों का निवारण) विनियम, 2023, जैसे समय-समय पर संशोधित, के अनुसार 30 दिनों की अवधि के भीतर अपील का निपटान करने के लिए सभी प्रयास करेगा।

10. निगरानी:

- (1) यूजीसी इन विनियमों के उद्देश्यों की प्राप्ति में की गई प्रगति की समीक्षा के लिए एक निगरानी तंत्र स्थापित करेगा और इसके लिए उच्च शिक्षा संस्थानों से सूचना मांगना, उच्च शिक्षा संस्थानों के परिसरों का दौरा करना आदि सहित तंत्र विकसित करेगा। ऐसी समीक्षा के आधार पर, यूजीसी उच्च शिक्षा संस्थानों को इन विनियमों के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए उपाय करने की सलाह दे सकता है, और उच्च शिक्षा संस्थान तदनुसार कार्य करेंगे।
- (2) यूजीसी एक राष्ट्रीय स्तरीय निगरानी समिति का गठन करेगी, जिसमें वैधानिक व्यावसायिक परिषदों और आयोगों तथा नागरिक समाज के प्रतिनिधि होंगे। समिति इन विनियमों के कार्यान्वयन की देखरेख करेगी और उच्च शिक्षा संस्थानों में भेदभाव के मुद्दों पर भी विचार करेगी तथा उसकी रोकथाम के साधन सुझाएगी। समिति की वर्ष में कम से कम दो बार बैठक होगी।
- (3) प्रत्येक उच्च शिक्षा संस्थान अपने समान अवसर केंद्र के कार्यक्रम के संबंध में एक वार्षिक प्रतिवेदन समीक्षा के प्रयोजनार्थ प्रत्येक वर्ष जनवरी माह के अंत तक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, संबंधित वैधानिक व्यावसायिक

परिषद(ओं) अथवा आयोग(ओं), संबंधित राज्य के उच्च शिक्षा विभाग अथवा निदेशालय तथा संबद्ध विश्वविद्यालय को प्रस्तुत करेगा।

11. अनुपालन न करने के परिणाम:

यदि कोई उच्च शिक्षा संस्थान इन विनियमों के किसी भी प्रावधान का अनुपालन नहीं करता है, तो आयोग अनुपालन न करने की जांच के लिए एक जांच समिति गठित करेगा। यदि आयोग द्वारा गठित जांच समिति द्वारा अनुपालन न करना सिद्ध हो जाता है, तो उच्च शिक्षा संस्थान पर निम्नलिखित कार्रवाई(याँ) की जाएगी:

- (क) यूजीसी योजनाओं में भाग लेने से वंचित किया जाएगा।
- (ख) उपाधि/डिग्री कार्यक्रम चलाने से वंचित किया जाएगा।
- (ग) मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा (ओडीएल) और ऑनलाइन माध्यम से कार्यक्रम संचालित करने से वंचित किया जाएगा।
- (घ) यूजीसी अधिनियम 1956 की धारा 2(च) और 12बी के तहत रखी गई उच्च शिक्षा संस्थानों की सूची से हटा दिया जाएगा।

उच्च शिक्षा संस्थान पर उपरोक्त में से एक या एक से अधिक कार्रवाई की जाएगी।

इसके अतिरिक्त, आयोग द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार, यूजीसी अन्य उपयुक्त दंडात्मक कार्रवाई भी कर सकता है, जो कि प्रत्येक मामले की प्रकृति के अनुसार होगी।

मनिष जोशी, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./619/2025-26]

UNIVERSITY GRANTS COMMISSION NOTIFICATION

New Delhi, the 13th January, 2026

University Grants Commission (Promotion of Equity in Higher Education Institutions) Regulations, 2026
(UIN:1/2026)

F. No. 1-7/2011(SCT).— PREAMBLE:

Whereas the University Grants Commission (UGC) is mandated to coordinate and determine the standards of higher education in universities;

And whereas the National Education Policy 2020 recognises 'full equity and inclusion' as the cornerstone of all educational decisions to ensure that all students are able to thrive in the education system;

And whereas the University Grants Commission is determined to eradicate discrimination on the basis of religion, race, caste, gender, place of birth, or against persons with disabilities in Higher Education Institutions.

And whereas the University Grants Commission intends to promote equity in Higher Education Institutions.

Now, therefore, in supersession of the University Grants Commission (Promotion of Equity in Higher Educational Institutions) Regulations, 2012, and in exercise of the powers conferred by clause (j) of Section 12 read with clause (g) of sub-section (1) of Section 26 of the University Grants Commission Act, 1956, the University Grants Commission hereby makes the following Regulations, namely: —

1. Short title, application, and commencement:

- (a) These regulations shall be called the University Grants Commission (Promotion of Equity in Higher Education Institutions) Regulations, 2026 (UIN:1/2026).
- (b) They shall apply to all the higher education institutions in India.
- (c) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Objective:

To eradicate discrimination only on the basis of religion, race, gender, place of birth, caste, or disability, particularly against the members of scheduled castes and scheduled tribes, socially and educationally backward classes, economically weaker sections, persons with disabilities, or any of them, and to promote full equity and inclusion amongst the stakeholders in higher education institutions.

3. Definitions:

(1) In these regulations, unless the context otherwise requires-

- (a) "Act" means the University Grants Commission Act, 1956 (3 of 1956);
- (b) "Aggrieved Person" means a person who has any complaint in the matters relating to or connected with the grievances under these regulations;
- (c) "Caste-based discrimination" means discrimination only on the basis of caste or tribe against the members of the scheduled castes, scheduled tribes, and other backward classes;
- (d) "Commission" means the University Grants Commission established under the University Grants Commission Act, 1956;
- (e) "Discrimination" means any unfair, differential, or biased treatment or any such act against any stakeholder, whether explicit or implicit, on the grounds only of religion, race, caste, gender, place of birth, disability, or any of them. It also includes any distinction, exclusion, limitation, or preference which has the purpose or effect of nullifying or impairing equality of treatment in education and, in particular, of imposing conditions on any stakeholder or group of stakeholders which are incompatible with human dignity.
- (f) "Equity" means a level playing field for all stakeholders with respect to the entitlement and opportunity for the enjoyment of all legitimate rights.
- (g) "Equity Committee" means the Committee constituted by the head of the higher education institution.
- (h) "Equity Helpline" means a helpline established and operated by an HEI;
- (i) "Equal Opportunity Centre" means the centre established under these Regulations by an HEI;
- (j) "Faculty Members" means teachers who are working for the HEI;
- (k) "Gender" means and includes male, female, and third gender;
- (l) "Grievance" means and includes complaint(s) made by an aggrieved person in respect of discrimination under these regulations;
- (m) "Head of the Institution" means the Vice-Chancellor in case of a university or a Deemed to be university, the Principal or the Director or such other designation as the executive head of the institution or the college is referred;
- (n) "Higher Education Institutions (HEIs)" means a university within the meaning of clause (f) of section 2, a college within the meaning of clause (b) of sub-section (1) of section 12 A, and an

institution deemed to be a university, declared under section 3 of the University Grants Commission Act, 1956;

- (o) "Ombudsperson" means the Ombudsperson appointed under the University Grants Commission (Redressal of Grievances of Students) Regulations, 2023, as amended from time to time;
 - (p) "Staff" means the persons, other than faculty members, who are working for the HEI;
 - (q) "Stakeholders" means students, faculty members, staff, and members of the managing committee, including the Head of the HEI;
 - (r) "Student" means a person enrolled, or seeking admission to be enrolled, in any HEI through any mode, i.e., Formal, Open and Distance Learning (ODL), or Online;
 - (s) "University" means a university established or incorporated by or under a Central Act, a Provincial Act, or a State Act and includes any such institution as may, in consultation with the University concerned, be recognized by the Commission in accordance with the regulations made in this behalf under the Act;
- (2) Words and expressions used and not defined herein but defined in the Act or in the General Clauses Act, 1897, shall have the meanings as respectively assigned to them in the Act or in the General Clauses Act, 1897, as the case may be.

4. Duty to promote equity:

- (1) Every HEI shall-
 - (a) have a duty to eradicate discrimination;
 - (b) have a duty to promote equity among stakeholders;
 - (c) take appropriate protective and preventive measures to eliminate discrimination against stakeholders and safeguard the interests of the stakeholders without any prejudice to their caste, creed, religion, language, ethnicity, gender, or disability.
- (2) No HEI shall permit or condone any form of discrimination.
- (3) It shall be the duty of the Head of the Institution to see that these regulations are duly observed, and he shall have all powers necessary for that purpose.

5. Equal Opportunity Centre:

- (1) Every HEI shall establish an Equal Opportunity Centre to oversee the effective implementation of policies and programmes for disadvantaged groups; to provide guidance and counselling regarding academic, financial, social, and other matters; and to enhance the diversity within the campus.
Provided that if a college does not have at least five faculty members to establish the Equal Opportunity Centre, the functions of the Equal Opportunity Centre of the college shall be performed by the Equal Opportunity Centre of the university to which the college is affiliated.
- (2) The Centre shall establish coordination with civil society, local media, police, district administration, non-government organizations working in the field, faculty members, staff, and parents to realise the objective of these regulations.
- (3) The Equal Opportunity Centre shall coordinate with the District Legal Services Authority and the State Legal Services Authority concerned to achieve the objectives of these regulations in general and to provide legal aid in deserving cases.

- (4) The Executive Council or the Governing Body or the Management Committee of the Higher Education Institution, as the case may be, shall nominate a regular professor or a senior faculty member who has an innate interest in the welfare of disadvantaged social groups as Coordinator of the centre.
- (5) The Equal Opportunity Centre shall have an Equity Committee constituted by the Head of the Institution to manage the functioning of the Centre and to enquire into discrimination complaints.
- (6) The composition of the Equity Committee shall be the following:
- The Head of the Institution shall be the ex-officio Chairperson
 - Three Professors/Senior Faculty Members of the HEI, as Members
 - One Staff Member, other than a teacher, of the HEI, as a Member
 - Two representatives from civil society having relevant experience, as Members
 - Two student representatives, to be nominated based on academic merit/excellence in sports/performance in co-curricular activities, as Special Invitees.
 - The Coordinator of the Equal Opportunity Centre shall act as the ex-officio Member Secretary
- (7) The Committee must have representation of Other Backward Classes, Persons with Disabilities, Scheduled Castes, Scheduled Tribes, and women.
- (8) The term of the members shall be for two years, and the term of the special invitees shall be one year.
- (9) The Committee shall meet at least twice in a year, and the quorum for the meeting, including the Chairperson, but excluding the special invitee, shall be four. The committee, in its bi-annual meetings, shall review the action taken on the matters received in the previous 6 months, including the matters referred by it to other committees, constituted under any other regulations of the UGC or under any other law for the time being in force.
- (10) The Equal Opportunity Centre shall have the following functions:
- To ensure equity and equal opportunity to the community at large in the HEI and to bring social inclusion.
 - To promote equity among the students, teaching, and non-teaching staff and, at the same time, eliminate the perception of discrimination.
 - To create a socially congenial atmosphere for academic interaction and for the growth of healthy interpersonal relationships among students coming from various social backgrounds.
 - To make efforts to sensitize stakeholders regarding social inclusion.
 - To help individuals or a group of students belonging to the disadvantaged section of society.
 - To protect an aggrieved person, who has reported any incident of discrimination, against retaliation.
 - To disseminate the information related to schemes and programmes for the welfare of the socially disadvantaged section, as well as notifications/memoranda, office orders of the Government and the UGC, or other related agencies/organizations issued from time to time.
 - To prepare and disseminate an illustrative list of acts that shall be construed as discrimination.
 - To prepare inclusive procedures for the admission of students belonging to the disadvantaged groups of society.
 - To establish coordination with the Government and other agencies/organizations to mobilize academic and financial resources to provide assistance to students belonging to disadvantaged groups.
 - To maintain an online portal for reporting any incident of discrimination.
 - To perform such other functions as may be deemed necessary for the promotion of equity in the HEI.
- (11) Every HEI shall also constitute a smaller body to be known as 'Equity Squads' with such representation as is considered necessary for maintaining vigil and preventing any discrimination on the campus. The HEI may constitute the Equity Squads in the required numbers, and such squads will remain mobile and visit the

vulnerable spots frequently. The Equity Squads shall submit their reports to the Coordinator of the Equal Opportunity Centre.

- (12) Every HEI shall designate at least one stakeholder in each of its units, departments, faculties, schools, hostels, libraries, or facilities to act as an 'Equity Ambassador.' The stakeholders designated as Equity Ambassadors shall act as torchbearers of equity on the campus and shall remain in touch with the Coordinator of the Equal Opportunity Centre. The Equity Ambassador shall act as a nodal officer for implementing the programme or activities planned by the Equal Opportunity Centre in their units and shall also report any equity violation without delay.
- (13) The Equal Opportunity Centre shall publish a bi-annual report of its activities by the end of January and July every year, and the report shall be made available on the website of the HEI. The report shall include demographic composition of students and staff, dropout rates of the students for the previous academic year, grievances/complaints received under these regulations, and their current status.

6. Equity Helpline:

- (1) Every HEI shall establish and operate an 'Equity Helpline' that will function round the clock.
Provided that if the equity helpline of a college is not functional for any reason, the equity helpline of the affiliating university shall be accessible to the stakeholders of that college.
- (2) The Equity Helpline shall be accessible to any stakeholder in distress owing to any discrimination-related incident.
- (3) Identity of stakeholder reporting and violation of equity shall be kept confidential if requested by the informant.

7. Measures for the Promotion of Equity:

HEIs shall take the following measures for the promotion of equity:-

- (a) HEIs shall ensure that all students at the time of taking admission or renewal of admission and all faculty members and staff furnish an undertaking to the effect that he/she shall promote equity and will not indulge himself/herself in any form of discrimination.
- (b) The regulations and the equity helpline shall also be prominently made available on HEI's website(s).
- (c) Before the commencement of each academic session, the Head of the Institution shall convene and address a meeting of various functionaries, such as hostel wardens, students, parents/ guardians, faculty, staff, district administration, police, as a part of the orientation programme, to discuss the measures to promote equity among stakeholders and also to create awareness about these regulations. A video of the meeting will be made available on the HEI website.
- (d) HEIs shall ensure that any selection, segregation, or allocation for the purpose of hostels, classrooms, mentorship groups, or any other academic purposes is transparent, fair, and non-discriminatory.
- (e) To promote equity, HEIs shall prominently display posters at appropriate places on the campus and organize workshops, events, etc.
- (f) HEIs shall engage or seek the assistance of professional counsellors for the counselling of students, faculty members, and staff.
- (g) HEIs shall implement various guidelines issued from time to time by the UGC to promote equity, such as Guidelines to Provide Equitable Opportunity for the Socio-Economically Disadvantaged Groups (SEDGs) in the HEIs, etc.

454/c

- (h) Any student, faculty member, or staff, whether victims or witnesses to any incident of discrimination, shall be encouraged to report such occurrences, and their identity shall be protected if requested by the informant, and they shall be provided with necessary protection against retaliation or victimisation.

8. The procedure in case of an incident of discrimination:

- a) An aggrieved person may report any incident of discrimination on an online portal, in writing, or by sending an email to the Coordinator of the Equal Opportunity Centre. The identity of the aggrieved person shall be kept confidential if requested.
- b) The aggrieved person shall also have the option of reporting the incident to the Equity Helpline. The information received on the helpline shall be forwarded to the police authorities concerned if, prima facie, a case under the penal laws is made out.
- c) The Equity Committee, upon receipt of such information, shall meet within 24 hours to take appropriate action. The Equity Committee may also refer the matter to a committee constituted under any other Regulations of the UGC or under any other law for the time being in force, if it is of the opinion that the matter can be better dealt with by that committee; or it is required to be dealt with by that committee in accordance with the provisions of regulations or law; or that committee is already seized of the matter.
- d) The Equity Committee shall thereafter submit its report to the Head of the Institution within 15 working days. A copy of the Equity Committee's report shall also be sent to the aggrieved person.
- e) Upon receipt of the report from the Equity Committee, the Head of the Institution shall initiate further action as per the rules of the HEI within 7 working days. However, if a case under the penal laws is made out, police authorities shall be informed forthwith.
- f) In the event any complaint is made against the Head of the Institution, the meeting of the Equity Committee shall be chaired by the Coordinator of the EOC, and the report of the Equity Committee shall be forwarded to the next higher authority of the Head of the Institution.

9. Appeal:

- (1) A person aggrieved by the report of the Equity Committee may prefer an appeal before the Ombudsperson within 30 days from the date of receipt of such report. The ombudsperson may appoint an *amicus curiae* to facilitate the hearing of an appeal.
- (2) An *amicus curiae* appointed by the Ombudsperson shall be paid a reasonable fee by the HEI.
- (3) The Ombudsperson shall make all efforts to dispose of the appeal within a period of 30 days as per the University Grants Commission (Redressal of Grievances of Students) Regulations, 2023, as amended from time to time.

10. Monitoring:

- (1) The UGC shall establish a monitoring mechanism to review the progress made in achieving the objectives of these regulations and devise mechanisms for it, including calling for information from HEIs, visiting the campuses of HEIs, etc. Based on such a review, the UGC may advise the HEIs to take measures to achieve the objectives of these regulations, and the HEIs shall act accordingly.
- (2) The UGC shall constitute a national-level monitoring committee having representatives of statutory professional councils and commissions and of civil society. The Committee shall oversee the implementation of these regulations and shall also look into the issues of discrimination and suggest means of its prevention in HEIs. The Committee shall meet at least twice a year.

- (3) Every HEI shall submit an annual report on the functioning of its Equal Opportunity Centre to the UGC, statutory professional council(s) or commission(s) concerned, Higher Education Department or Directorate of the State concerned, and to the affiliating university by the end of January every year for review.

11. Consequences of non-compliance:

If any HEI does not comply with any provisions of these regulations, the Commission shall constitute an enquiry committee to look into the non-compliance. If the non-compliance is established by the enquiry committee set up by the Commission, the HEI shall be:—

- (a) Debarred from participating in UGC schemes.
- (b) Debarred from offering degree programmes.
- (c) Debarred from offering ODL and online mode programmes.
- (d) Removed from the list of HEIs maintained under Sections 2(f) and 12B of the UGC Act 1956.

The HEI shall be subjected to one or more of the above actions.

Further, UGC may take additional punitive actions as per the decision of the Commission on case-to-case basis.

MANISH JOSHI, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./619/2025-26]